# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 61/2017

1. सरजीतकौर पत्नी निरंजनसिंह
2. रणजीतसिंह पुत्र निरंजनसिंह

जाति खत्री निवासी धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल पुरानी आबादी श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थीगण

बनाम

1. चरणजीतसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति खत्री निवासी धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद दिल्ली।
2. अन्जु पत्नी ओमप्रकाश पुत्र निरंजनसिंह जाति खत्री निवासी धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद दिल्ली ।
3. सोहनसिंह
4. ज्ञानसिंह — पिसरान कुन्दनसिंह
5. भजनसिंह
6. हरचरणसिंह
7. जोगेन्द्रसिंह — पिसरान मुख्त्यारसिंह
8. निमानसिंह

जाति खत्री निवासी धालेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर ।

9. जसप्रीतकौर पत्नी जगजीतसिंह
10. पूजादेवी पुत्री जगजीतसिंह
11. शिल्पा देवी पुत्री जगजीतसिंह
12. तरसेमसिंह पुत्र जगजीतसिंह
13. परमपालकौर पत्नी दलजीतसिंह जाति जटसिख निवासी प्रेमनगर श्रीगंगानगर ।
14. जगजीतकौर पत्नी इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी प्रेमनगर श्रीगंगानगर।

13/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

15. मुख्त्यारकौर पत्नी निर्भयसिंह जाति जटसिख निवासी प्रेमनगर श्रीगंगानगर।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर । ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 31.03.2017

**उपस्थितिः–**

श्री सुरेश अरोड़ा अभिभाषक अपीलार्थी ।

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पो संख्या 1 से 3

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 13.03.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88 53 188 का पेश कर कथन किया वादीगण एव प्रतिवादीगण के पूर्वज निरंजनसिंह के नाम से अपने भाईयों व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सांझो खाते में चक 4 एल एल के खाता संख्या 10 व 41 में कमशः 2.934 है0 का 1/3 हिस्सा एवं 1.395 है0 में 1/3 हिस्सा कुल 1.413 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हमेशा से दिल्ली में निवास करते थे। निरंजनसिंह हमेशा वादीगण के पास रहे । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण को बताये बिना एक गलत वारिसनामा सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वारिस बताते हुए बनवाया और निरंजनसिंह की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जो वादीगा के हितो पर प्रभाव शून्य है । विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो जाने से वे इस रकबा को बेचान करने की फिराक में है यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं वादीगण अपने हिस्से से महरूम हो जायेगे । अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर वाद पत्र के अनुतोष की मद संख्या क से घ अनुसार डिक्री किया जावे ।

14/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि वादी संख्या 1 निरजंनसिंह की पत्नी नहीं है और वादी संख्या 2 निरंजनसिंह का पुत्र नहीं है। वादीगण का निरंजनसिंह के परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा कुन्दनसिंह ने अपने जीवनकाल में एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 06.06.2001 को सशर्त निष्पादित की थी कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता निरंजनसिंह 1/3 हिस्सा की आराजी की पैदावार जीवनकाल तक खा सकेगें उसकी मृत्यु के पश्चात पोत पोत्री प्रतिवादी सं. 1 , 2 को प्राप्त हो गई। उक्त वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 व 2 विवादित भूमि के खातेदार हैं। अतः निवेदन है कि वाद वादी खारिज किया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने पांच वाद बिन्दु किये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 31.03.2017 को वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने गुपचुप तरीके से वारिसनामा बनवाकर अपने नाम भूमि दर्ज करवाली जबकि वादीगण विवादित भूमि के कब्जा के आधार पर खातेदार हैं एवं वादीगण का भी उक्त भूमि में हक व हिस्सा बनता है। अधी. न्यायालय ने वाद खारिज करने में विधिक भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि निरंजनसिंह के वारिसान रेस्पों. सं. 1 व 2 है। निरंजनसिंह ने विवादित भूमि की वसीयत रेस्पों. सं. 1 व 2 के पक्ष में की है जिसके आधार पर विवादित भूमि का इन्तकाल रेस्पों. सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हो चुका है। अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए

13/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वाद खारिज किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 31.03.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का दावा खारिज किया है जबकि अधी.न्यायालय द्वारा तनकियात विनिश्चय सही नहीं की है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब दावे के आधार पर 4 तनकियात कायम की है यथा

(1) क्या चक 4 एल.एल.तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं. 10 एवं 41 में कमशः 2.934है0 का 1/3 हिस्सा(0.978है0) एवं 1.305है0 का 1/3 हिस्सा (0.978 है0) एवं 1.305है0 का 1/3 हिस्सा (0.435है0) कुल 1.413है0 वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता, प्रतिवादी सं. 3 से 5 के भाई प्रतिवादी सं. 6 से 9 के दादा के भाई, प्रतिवादी सं. 11 से 13 के दादा के भाई के नाम संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। ——वादीगण

(2) क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा जारी करवाये गये वारिसनामा के आधार पर किये गये नामान्तरणकरण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है। ——वादीगण

(3)क्या वादी सं. 1 स्व. निरंजनसिंह की पत्नी एवं वादी सं. 2 निरंजनसिंह का पुत्र नहीं बल्कि मंगतसिंह की पत्नी एवं पुत्र है। ——प्रतिवादीगण

(4) क्या कुन्दनसिंह पुत्र शेरसिंह द्वारा पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 06.06.2001 जिसके अनुसार निरंजनसिंह के 1/3 हिस्से की कृषि भूमि का जीवनकाल में उपयोग एवं उपभोग किया जा सकेगा। तत्पश्चात उनके पोत्र पोत्री (प्रतिवादी सं. 1 व 2) को प्राप्त होगी, प्रभावी है। ——प्रतिवादीगण

13/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपरोक्त तनकियात में तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण(अपीलांट) द्वारा साबित की जानी थी एवं तनकी सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण द्वारा साबित की जानी थी परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट(वादीगण) की तनकियात उनके विरूद्ध निर्णित की है तथा रेस्पों. के जिम्मे की तनकियात उनके पक्ष में निर्णित की गई है बाबत अभिभाषक अपीलांट द्वारा सिलसिलेवार अपनी बहस में तनकियात विनिश्चय के नुक्श को जाहिर किया।

तनकी सं. 1:– तनकी सं. 1 पूर्ण रूपेण record base होना जाहिर किया, अधी. न्यायालय की पत्रावली पर परिक्षित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श Ex-1 राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 के अनुसार चक 4 एल.एल. के संयुक्त खाता सं. 10/8 में निरंजनसिंह के नाम पर अपने भाइयों कमशः भजनसिंह एवं जगजीतसिंह के साथ कुल 2.934है0 कृषि भूमि में समभाग अर्थात 1/3 हिस्सा एवं चक 4 एल.एल. के संयुक्त खाता सं. 41/32 में कुल 1.305है0 में भी अपने भाइयों के साथ समभाग अर्थात 1/3 हिस्सा दर्ज है जो तथ्य रेकार्ड से साबित है फिर भी तनकी अपीलांट के विरूद्ध किसी भी साक्ष्य आधारित या विधि आधारित न होकर मात्र कल्पना आधारित होकर विनिश्चत होना जाहिर किया बाबत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी में नामान्तरण सं. 372 के अंकन अनुसार विवादित भूमि कुन्दनसिंह फोत वसीयत 5.693है0 बहक हरचरणसिंह 0.153है0, जोगेन्द्रसिंह 0.325है0, निमानसिंह 0.326है0, पि0 मुख्त्यारसिंह पुत्र कुन्दनसिंह, निरंजनसिंह– भजनसिंह, जगजीतसिंह पि0 कुन्दनसिह ब.हि.ब. 2.934है0, ज्ञानसिंह 0.890है0, सोहनसिंह 1.0665है0 पि0 कुन्दनसिंह कौम खत्री सा0 धालेवाला खातेदार। इन्तकाल नं. 373/वसीयतनाम/दिनांक 21.08.2012 कुन्दनसिंह फौत वसीयत 2.532है0 बहक हरचरणसिंह, 0.068है0 जोगेन्द्रसिंह, 0.145है0 निमानसिंह पि0 मुख्तयारसिंह पुत्र कुन्दनसिह, निरंजनसिंह, भजनसिंह, जगजीतसिंह पि0 कुन्दनसिह ब.हि.ब. 1.305है0, ज्ञानसिंह 0.395है0, सोहनसिंह 0.474है0 पि0 कुन्दनसिह सा0 धालेवाला खातेदार शेष इन्द्रज बदस्तूर भूमि दर्ज होना रिकार्ड से साबित होने की वजह यह तनकी अपीलांट के पक्ष में निर्णय करने का अनुरोध किया जिसका रेस्पों. अभिभाषक द्वारा

13/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कोई Specific denial नहीं करने से अभिभाषक अपीलांट का अनुरोध स्वीकार योग्य है।

तनकी सं. 2:– यह तनकी वादीगण के विरूद्ध इसलिए विनिश्चित की गई है कि जो वारिस प्रमाण पत्र जिला दण्डाधिकारी मध्य दिल्ली द्वारा जारी किया गया था जिसके आधार पर निस्तारित नामान्तरणकरण को किसी न्यायालय में चुनौती नही दी गई बाबत अभिभाषक अपीलांट ने legal objection उठाते हुए जाहिर किया कि सन्दर्भ व्यक्ति निरंजनसिंह की मृत्यु दिनांक 03.11.2013 को गंगानगर में होना दस्तावेजी साक्ष्य मृत्यु प्रमाण पत्र अधी. न्यायालय की पत्रावली पर परिक्षित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श Ex3A से प्रमाणित तथा सम्पति कृषि भूमि जिला गंगानगर में निहित होकर Teritorial jurisdiction दण्डाधिकारी दिल्ली (मध्य) का न होकर सक्षम प्राधिकारी नगर परिषद श्रीगंगानगर का बनता है जिसने विधिक वारिस प्रमाण पत्र अधी. न्यायालय की पत्रावली पर परिक्षित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श Ex8A है जिसके आधार पर तनकी सं. 2 अपीलांट के पक्ष में निर्णित करने का अनुरोध किया बाबत अभिभाषक रेस्पों. ने जाहिर किया रेस्पों. उस वक्त दिल्ली में रहते थे। अतः दिल्ली के प्रमाण पत्र मान्य है कथन तर्क संगत नहीं होने से अभिभाषक अपीलांट का अनुरोध स्वीकार योग्य है।

तनकी सं. 3:– वादीगण निरंजनसिंह के वारिस है या नहीं बाबत अपीलांट अभिभाषक द्वारा दौराने बहस आपत्ति जाहिर की है कि यह क्षेत्राधिकार अधी. न्यायालय की पत्रावली पर परिक्षित दस्तावेजी साक्ष्य परिवार राशन कार्ड EX4A चुनाव विभाग का पहचान पत्र Ex5A द्वारा वादी (अपीलांट) सरजीत कौर निरंजनसिंह की पत्नी होना साबित है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मूल निवास प्रमाण पत्र Ex6A से अपीलांट रणजीत सिंह निरंजनसिंह का पुत्र होना साबित है। अतः प्रतिवादीगण यह तनकी साबित करने में असफल रहने से उनके विरूद्ध निर्णित करने का अनुरोध किया जो स्वीकार योग्य है।

तनकी सं. 4– अभिभाषक अपीलांट ने जाहिर किया कि वसीयत से सम्बन्धित होकर वसीयत के लिए Wills Act एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों से guided होती जिसमें वसीयत conditional नहीं हो सकती तथा दो

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वसीयतें दिनांक 06.06.2001 व 16.02.2002 की प्रमाणि ता Probate के रूप में सिविल न्यायालय द्वारा करवाई जाना जाहिर किया जिसका burden of proof रेस्पों. पर है। तदनुसार रेस्पों. यह तनकी साबित करने में असफल रहने से रेस्पों. के विरूद्ध निर्णित करने का अनुरोध किया जो स्वीकार योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का विश्लेषण उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत 2009(4) आर.एल.डब्ल्यू पेज 3579, ए.आइ.आर. 1995(एससी) पेज 2491, ए.आइ.आर 1983 (कलकत्ता) पेज 337 का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि:–

1. अधी. न्यायालय द्वारा तनकी विनिश्चय सही नहीं की है जो अपास्त योग्य है।
2. उपर तनकी विनिश्चय विवेचन अनुसार तनकी सं. 1 व 2 अपीलांट के पक्ष में निर्णय योग्य है एवं तनकी सं. 3 व 4 रेस्पों. के विरूद्ध निर्णय योग्य है।
3. निरंजनसिंह की मृत्यु गंगानगर में होना प्रमाणित होकर कृषि भूमि गंगानगर में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के प्रावधानुसार कृषि भूमि devolve योग्य है जिसके लिए वारिस प्रमाण पत्र दिल्ली मध्य दण्डाधिकारी द्वारा जारी के बजाए नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जारी ज्यादा संदर्भित है।

उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 3 के विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है एवं वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर निरंजनसिंह के हिस्से की भूमि चक 4 एल.एल. के खाता सं. 10 व 41 में कमशः 2.934है0 का 1/3 हिस्सा(0.978है0) एवं 1.305है0 में 1/3 हिस्सा (0.435है0) कुल 1.413है0 भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब.(प्रत्येक को 1/4 हिस्सा का)

12/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खातेदार घोषित किये जाते हैं। इन्तकाल सं. 449 दिनांक 12.07.2014 वादीगण के हिस्से तक शून्य है। इसी अनुसार खाता विभाजन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर